

# 1207

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 112 OF 2024

IN THE MATTER OF:

CHAUDHARY YASHWANT SINGH

... APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

... RESPONDENTS

INDEX      N.D.O.H.: 21.01.2026

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply/Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in Compliance to order dated 09.10.2025.	1 – 5
2.	<u>ANNEXURE-1</u> True copy of affidavit dated 13.01.2025.	6 – 56
3.	<u>ANNEXURE-2</u> True copy of letter dated 13.01.2026.	57 - 58
4.	<u>ANNEXURE-3</u> True copy of Reply DFO, Mirzapur letter dated 13.01.2026.	59 – 63
5.	<u>ANNEXURE-4</u> True copy of DFO, Mirzapur letter dated 13.01.2026.	64 – 93

NEW DELHI

DATED: 17.01.2026



**(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)**

Counsel for U.P. Pollution Control Board

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: [pradeepmisra@yahoo.com](mailto:pradeepmisra@yahoo.com)

1208

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI



Original Application No. 112 of 2024  
(I.A. No. 430/2025, IA No 45/2024)



2 Tickets Rs. 10/-  
14/10/2024  
(P.N. SONEY)  
Adv. NOTARY  
Robertsganj-Sonbhadra

**IN THE MATTER OF:**

Chaudhary Yashwant Singh.

....Applicant

Versus

Union of India & Ors.

....Respondent(s)

**REPLY/RESPONSE ON BEHALF THE UTTAR PRADESH  
POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO ORDER  
DATED 09.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL  
GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

I, Ramesh Kumar Singh S/o Shri Bal Ram Singh aged about 44 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Sonbhadra, do hereby solemnly affirm and state of oath as under;

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and such I am competent and authorized to swear this affidavit.

That, in the above case the grievance is that the Project Proponent in collusion with the Uttar Pradesh State Highway Authority and other concerned officers has illegally constructed / operating toll tax plaza (toll fee collection booth) / hot mix plant at Village



↓


1209

Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur on Araj No. 291 Mi in area of 15 Bigha which has been declared as Forest Land.

3. That in compliance of order dated 24.09.2024 in the above matter, to review the current status of grievance made by the applicants, officials of the UPPCB have carried out the visit of above concerned Site i.e. Toll Plaza operated by M/s Apco Infratech Pvt. Ltd. (M/s ACP Tollways Pvt. Ltd.) and Hot-mix plant established at Arazi no. 291/2, Village-Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur for construction of Toll Plaza on 28.12.2024.
4. Accordingly, in compliance of Hon'ble NGT order dated 24.09.2024 Reply/response in the form of Affidavit dated 13.01.2025 has filed before Hon'ble NGT by Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra. A copy of affidavit dated 13.01.2025 is being annexed as **Annexure No.1**.
5. Further, Hon'ble NGT in the above matter vide its order dated 09.10.2025 has instructed following:-

*"....2. In terms of the earlier directions, the DFO, Mirzapur has filed the affidavit dated 08.10.2025 disclosing the assessment of damage caused to the forest and forest property due to the encroachment made by the project proponent A.C.P toll plaza. It has been disclosed that the total area under pathway and temporary structure on the forest land is found to be 0.41 hectares. A vague term "resulting in absence of trees" has been used in the affidavit which was clarified by Counsel for the State of U.P that the same refers to loss of trees. The number and values of trees which have been illegally cut/loss in the process has been calculated as Rs. 4,49,997/- in reference to 656 trees and the penalty amount has been calculated to be ten times of the value of the tree i.e. Rs. 44,99,970/-.*

*4. Learned counsel appearing for UPPCB has also sought time to calculate the environmental compensation on account of the damage caused to the environment due to the illegal felling of trees..."*



2

6. In compliance of above, to provide requisite information/Data for calculation/Evaluation of Environmental Compensation on account of the damage caused to the environment due to illegal felling of trees done by above concerned toll plaza i.e. M/s ACP Tollways Pvt. Ltd, Village-Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur letter has been issued to Divisional Forest Officer, Mirzapur by UPPCB vide letter ref. No. G0023/O.A. No.-112/2024/2026 dated 13.01.2026. A Copy of letter dated 13.01.2026 is being annexed as **Annexure No.2.**
7. Accordingly, reply of above from Divisional Forest Officer, Mirzapur has been received in this office on dated 14.01.2025 vide letter ref. No2318/मीरजापुर/10 रिट, दिनांक, मीरजापुर dated 13.01.2026 A Copy of letter dated 13.01.2026 is being annexed as **Annexure No.3.**
8. As per above information provided by Divisional Forest Officer, Mirzapur vide letter dated 13.01.2026 & affidavit dated 08.10.2025 (**Annexure No.4**) filed by DFO, Mirzapur before Hon'ble NGT, the following facts came into light:-

- i In compliance of Hon'ble NGT order dated 02.07.205, Three members committee has be constituted for quantification and assessment of damage caused to the forest and forest property due to encroachment made by ACP Toll plaza over 4.0 hectare of forest land vacated by DFO, Mirzapur.
- ii Aforesaid committee conducted a site inspection and observe that although no substantial damage was caused to most parts of the forest area, a parts of the land, **resulting in an absence of tree there.**



- iii Regarding Assessment of Damage to Forest Cover/Tress, informed that an average of 656 trees were found upon the 0.41 hectare area (For Estimation Sample Slot area selected in the encroachment).
- iv Due to the construction of access roads, building and other structures, the **area where tress were naturally present now lacks forest cover over 0.41 Hectare.**
- v That, in Joint report (**Annexure No.3**) of three member committee comprising of Regional Forest Officer, Sub-Divisional forest Officer, Mirzapur & Divisional Forest Officer, Bhadohi, it is mentioned that due to construction of access road, buildings and other structure, **trees should have been present there naturally but due to encroachment/construction, forest cover was not found on the said area of 0.41 hectare.**


9. Therefore, from above report, it is found that no illegal cutting of trees has been done in above said area of 0.41 hectare by above concerned toll plaza at Village-Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur.

10. Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow has issued guideline for as "**Guidelines for Assessment of Environmental Compensation for Illegal Cutting of Trees**" i.e. regarding illegal cutting of trees **Annexure No.5.**

That the Annexure annexed to the present accompanying affidavit are true copies of their respective original.

That the above response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

✓



1212

*Ramesh*  
14/1/2026

*R*  
**DEPONENT**


**VERIFICATION**

Verified at Robertson on this 14<sup>th</sup> day of January, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

2117

*Ramesh*  
14/1/2026

*R*  
**DEPONENT**



*Ramesh Nath Soney*  
has been identified by Shri. *Ramesh Nath Soney*  
appeared before me on *14/1/2026* at *Robertson* P.M.  
I certified that he/she understands the contents and truthness  
of facts mentioned in the affidavit and has administered oath to him  
*Ramesh Nath Soney*  
P. SONEY  
ADV.-NOTARY  
TEHSIL, SONEPURA

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**



**Original Application No. 112 of 2024  
(C.A. No. 45/2024)**



**IN THE MATTER OF:**

**Chaudhary Yashwant Singh.**

**....Applicant**

**Versus**

**Union of India & Ors.**

**....Respondent(s)**

**REPLY/RESPONSE ON BEHALF THE UTTAR PRADESH  
POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO ORDER  
DATED 24.09.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL  
GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

I, Reetesh Kumar Tewari S/o Shri J. N. Tewari aged about 50 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Sonbhadra, do hereby solemnly affirm and state of oath as under;

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and such I am competent and authorized to swear this affidavit.


2. That, in the above case the grievance is that the Project Proponent in collusion with the Uttar Pradesh State Highway Authority and



## 1214

other concerned officers has illegally constructed / operating toll tax plaza (toll fee collection booth) / hot mix plant at Village Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur on Araji No. 291 Mi in area of 15 Bigha which has been declared as Forest Land.

3. That in compliance of order dated 24.09.2024 in the above matter, to review the current status of grievance made by the applicants, officials of the UPPCB have carried out the visit of above concerned Site i.e. Toll Plaza operated by M/s Apco Infratech Pvt. Ltd. (M/s ACP Tollways Pvt. Ltd.) and Hot-mix plant established at Arazi no. 291/2, Village-Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur for construction of Toll Plaza on 28.12.2024. A copy of Inspection Report dated 03.01.2025 of inspection date 28.12.2024 is being attached as **Annexure No.1.**
4. The facts and observations found during field visit are as follows:-
  - i. During inspection as per document provide by representative, fact come into light that permission has been granted to M/s ACP Tollways Pvt. Ltd., B-9, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow by Chief Executive Officer, Uttar Pradesh State Highway Authority, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow vide ref. No.926/Pravi-18(4-T.Booth)/(V-S)/2021-22/Lko dated 10.03.2022 to operate the Temporary Fee Collection Booth(TFCB-1A) on the stated SOP and terms & conditions. A copy of letter dated 10.03.2022 is being annexed as **Annexure No.2.**
  - ii. During inspection Toll Plaza established at Village-Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur was found operational & operated by M/s Apco Infratech Pvt.Ltd. (M/s



## 1215

ACP Tollways Pvt. Ltd.) B-9, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.

- iii. During inspection, the representative of Toll Plaza informed that for production of hot mix material, Hot Mix Plant was established at Arazi no.291/2, Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur which was found closed during inspection. The Geo-co-ordinates of concerned Hot Mix Plant established at site of M/s ACP Tollways Pvt. Ltd. is Lat.-24.993111 & Long.-83.02046.
- iv. Further regarding CTO/CTE status of Hot Mix Plant, information was not provided by representative of above unit.
- v. Accordingly notice has been issued to M/s Apco Infratech Pvt.Ltd. (M/s ACP Tollways Pvt. Ltd), Village-Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur by UPPCB vide ref. No. G0017/Patra.Samanya./2025 dated 03.01.2025 to operate Hot-mix Plant only after obtaining CTO/CTE from UPPCB. A copy of notice dated 03.01.2025 issued by UPPCB is being Annexed as **Annexure No.3**
- vi. In compliance of above notice dated 03.01.2025 issued by UPPCB, representation /reply dated 08.01.2025 of M/s ACP Tollways Private Ltd., SPV for Varanasi-Shaktinagar Highway (SH-05A) was received in Regional Office, UPPCB, Sonbhadra on 08.01.2025. A copy of reply dated 08.01.2025 is being attached as **Annexure No.4**
- vii. As per representation /reply dated 08.01.2025 of M/s ACP Tollways Private Ltd., SPV for Varanasi-Shaktinagar Highway (SH-05A) and records available in office the facts came into light are as follows:-



↓

## 1216

- a. For production of Hot mix material, Hot Mix Plant was established at Arazi no.291/2, Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur by M/s A.C.P. Tollways Pvt. Ltd., Village-Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur and operated by M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.) Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur.
- b. Hot Mix Plant has been established at Arazi No. 291/12 Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur after having valid CTE from UPPCB in the name of M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.) Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur and having valid CTO for operation of Hot Mix Plant, which was valid upto 31.12.2017.
- viii. As, per record available in this Office, the above Hot Mix Plant was established in 2012 and was operated by M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.) Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur and is currently non operational.
- ix. NOC has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for establishment of Hot Mix Plant at Arazi No. 291/2, Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur by UPPCB vide ref. No. 1972/Chetak (H.M.)/NOC/2012 dated 07.06.2012, A copy of NOC issued by UPPCB vide letter dated 07.06.2012 is being Annexed as **Annexure No.5**.
- x. CTO-Air has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for Production of Hot Mix Material by using Stone Grits & Bitumen as Raw material by UPPCB vide ref. No. 2944/Chetak/Sahmati Vayu Aadesh/ 2013 Sonbhadra dated 10.05.2013, which was valid upto 31.12.2013 & CTO-Water



↓

1217

has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for Production of Hot Mix Material by UPPCB vide ref. No. 2944/Chetak/Sahmati Jal/2013 Sonbhadra dated 10.05.2013, which was valid upto 31.12.2013. A copy of CTO issued by UPPCB vide letter dated 10.05.2013 is being Annexed as **Annexure No.6.**

- xi.** CTO-Air has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for production of Hot Mix Material by using Stone Grits & Bitumen as raw material by UPPCB vide ref. No. 4152/Chetak (H.M.P.)/Sahmati Vayu Aadesh/ 2013 Sonbhadra dated 05.12.2013 which was valid upto 31.12.2015 & CTO-Water has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for Production of Hot Mix Material by UPPCB vide ref. No. 4152/Chetak(H.M.P.)/Sahmati Jal/2013 Sonbhadra dated 05.12.2013 which was valid upto 31.12.2015. A copy of CTO issued by UPPCB vide letter dated 05.12.2013 is being Annexed as **Annexure No.7.**

- xii.** Further, CTO-Air has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for Production of Hot Mix Material @ 1200 MT/Day by using Stone Grits & Bitumen as Raw material by UPPCB vide ref. No. 9120/Sahmati (Vayu) Aadesh/2017 Sonbhadra dated 12.05.2017 which was valid upto 31.12.2017 and CTO-Water has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for Production of Hot Mix Material by UPPCB vide ref. No. 9120/Sahmati /2017 Sonbhadra dated 12.05.2017 which was valid upto



*(Handwritten signature)*

1218

31.12.2017. A copy of CTO issued by UPPCB vide letter dated 12.05.2017 is being Annexed as **Annexure No.8.**

5. That the Annexure annexed to the present accompanying affidavit are true copies of their respective original.
6. That the above response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

**DEPONENT**

**VERIFICATION**

Verified at 45c on this 13 day of January, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.



**DEPONENT**




sworn and Verified  
Before me  
24/3/1625  
**ARJENDRA KUMAR SAHU**  
Advocate & Notary  
CIVIL COURT LICENCE

R.N. = 1449/15  
I identify the deponent/ executant  
decederating Who has signed / execute the

मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्रा०लि० (मेसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०), आराजी संख्या-291/2, ग्राम- बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर की निरीक्षण आख्या:-

उपरोक्त संदर्भित इकाई मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-112/2024 चौधरी यशवन्त सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.09.2024 के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-28.12.2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री वैभव अवस्थी, असिस्टेंट प्लाजा मैनेजर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय हाटमिक्स प्लांट बन्द पाया गया तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त हाटमिक्स प्लांट विगत कई वर्षों से बन्द है। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. टम्पेरी फीस कलेक्शन बूथ(टी०एफ०सी०बी०-1ए) at Km. 23+700 on Varanasi-Shaktinagar Road (SH-5A) ग्राम-बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर स्थापना के सम्बन्ध में उ०प्र० स्टेट हाइवे अथॉरिटी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्रांक-926/Pravi-18(4-T. Booth)/(V-S)/2021-22/LKO दिनांक-10.03.2022 की अनुमति-पत्र की छायाप्रति निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराया गया (छायाप्रति संलग्न)।
2. मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्रा०लि० (मे० ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०), आराजी संख्या-291/2, ग्राम-बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर हाटमिक्स प्लांट (क्षमता 1200 मि०टन/दिन) वर्ष-2012 से स्थापित/संचालित किये जाने के सम्बन्ध में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया।
3. इकाई में कच्चे माल के रूप में स्टोन ग्रीट, स्टोन डस्ट एवं बिटुमिन इत्यादि का प्रयोग कर हाटमिक्स प्लांट के द्वारा हाटमिक्स मैटेरियल का उत्पादन किया जाता है। इकाई की उत्पादन क्षमता 1200 मि०टन/दिन होना सूचित किया गया है। उक्त हाटमिक्स प्लांट के संचालन हेतु ईंधन के रूप में एच०एस०डी० लगभग 900 लीटर प्रतिघण्टा प्रयोग किया जाना सूचित किया गया है।
4. इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है।
5. उक्त इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में बैग फिल्टर एवं भूतल से लगभग 55 फीट ऊँची चिमनी स्थापित है।
6. उक्त इकाई में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 500 के०वी०ए० क्षमता का एक कैनोपीयुक्त डी०जी० सेट स्थापित है। डी०जी० सेट से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित है।
7. उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति के सम्बन्ध में निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।
8. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।



Ek

1220  
(2)

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त इकाई मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्रा०लि० (मेसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०), आराजी संख्या-291/2, ग्राम- बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को राज्य बोर्ड से बिना वैद्य सहमति प्राप्त किये हाटमिक्स प्लाण्ट को संचालित न किये जाने के निर्देश के साथ संचालनार्थ सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Qk  
03/01/2025  
(सुशील कुमार)  
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

Ro  
3-1-2025



# Uttar Pradesh State Highways Authority

Annexure No. 2  
562

4<sup>th</sup> floor, Kisan Mandi Bhawan

Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010.

Phone/Fax: 0522-4150311/377

Letter No.: 926 /Pravi-18(4-T. Booth)/(V-S)/2021-22/Lko,

Dated: 10.03.2022

To

M/s ACP Tollways Pvt. Ltd.,  
B-9, Vibhuti Khand, Gomtinagar,  
Lucknow.

Sub:- Permission to operate Temporary Fee Collection Booth (TFCB-1A) at Km. 23+700 on Varanasi-Shaktinagar Road (SH-5A): reg

Ref:

- 1- Your undertaking given vide letter no. ACPTPL / UPSHA / Lko /2021-22/122 Dt. 09.03.2022
- 2- Independent Engineer letter no. CMEC/V-S/IE/O&M-583 dated 08-03-2022

Dear Sirs,

Pursuant to your request to establish Temporary Fee Collection Booth (TFCB-1A) at Km. 23+700 on the said road as a part of toll plaza-1 (TP-1) and your subsequent undertaking as referred above, you are hereby permitted to operate the Temporary Fee Collection Booth (TFCB-1A) on the stated SOP and terms & conditions mentioned in Authority letter no. 921/ Pravi-18(4-T. Booth)/(V-S)/2021-22/Lko, dated: 08.03.2022 with no risk and cost to UPSHA w.e.f 11-03-2022.

Your's faithfully,

9/

(Awanish Kumar Awasthi)

I.A.S.

Chief Executive Officer

Copy to: M/s CMEC Consulting Engineers Pvt. Ltd., 1st Floor, Plot No. 1065, Near Daksh Group of ITI, Maruti Nagar, Madarawa, Po- Ramana Lanka, Varanasi, Uttar Pradesh-221005 for information and necessary action.

Rec  
for ACP  
10/03/2022

9/

Chief Executive Officer



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: 60017/पत्रा० सामा०/२०२५

दिनांक:-

Date: 03/01/2025

सेवा में,

मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्रा०लि० (मे० ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०),  
 आराजी संख्या-291मि, ग्राम-बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार,  
 जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकारी द्वारा दिनांक-28.12.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या एवं कार्यालय अभिलेखों से यह संज्ञान में आया है कि आपके हॉटमिक्स प्लांट (क्षमता 200 टन/घण्टा) स्थापित/संचालित है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय हॉटमिक्स प्लांट बन्द पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, ना ही इकाई के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त की गयी है जो उपरोक्त पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य बोर्ड से बिना सहमति (वायु एवं जल) प्राप्त किये इकाई का संचालन ना करें, अन्यथा आपके इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईडलाइन के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये आपके इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों/स्वामी का होगा।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
 क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

1223



ACP TOLLWAYS PRIVATE LTD.

SPV FOR VARANASI - SHAKTINAGAR HIGHWAY (SH-05A)

CIN No: U45400UP2011PTC047755

Ref: ए०सी०पी०/ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ कैम्प/2025/210

सेवा में,  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सोनभद्र।

दिनांक 08.01.2025

**विषय:-** मैसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०, ग्राम बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर पर स्थापित हॉटमिक्स प्लांट के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ :** आपका पत्रांक संख्या G0017/पत्रा० सामा०/2025, दिनांक 03.01.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हमारे हॉटमिक्स प्लांट जो मैसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०, ग्राम बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद- मिर्जापुर पर स्थापित है। उक्त प्लांट की स्थापना मैसर्स चेतक इण्टरप्राइजेज लि० बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर उ० प्र० द्वारा वर्ष 2013 में अनुमति पत्रांक संख्या 2944/चेतक/जल प्रदूषण/2013 दिनांक 10.05.2013 जल एवं पत्रांक संख्या 2944/चेतक/वायु प्रदूषण/2013 दिनांक 10.05.2013 वायु के लिए प्राप्त की गयी थी तथा इसमें संचालन की अनुमति भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त की गयी थी, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। वाराणसी से शक्तिनगर सड़क मार्ग का निर्माण का कार्य मैसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त हॉटमिक्स प्लांट विगत कई वर्षों से बन्द है तथा उक्त प्लांट का संचालन पूर्णतः बंद है। यदि भविष्य में उक्त हॉटमिक्स प्लांट का संचालन किया जाता है तो संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

धन्यवाद।

मैसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०



संलग्नक:

1. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय) उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र द्वारा जारी जल सहमति संदर्भ संख्या 2944/चेतक/जल प्रदूषण/2013 दिनांक 10.05.2013 की छायाप्रति।
2. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय) उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र द्वारा जारी वायु सहमति संदर्भ संख्या 2944/चेतक/वायु प्रदूषण/2013 दिनांक 10.05.2013 की छायाप्रति।

REGISTERED OFFICE

B-9, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW - 226 010 (U.P.)  
PHONE : +91-522-4036111, 2720 520/21, FAX : +91-522-4036100



1224

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्टसगंज, सोनभद्र

संदर्भ संख्या- 2944/चेतक/जल प्रदूषण/2013

पंजीकृत

दिनांक 10/05/13

सेवा में,

मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि० (एच०एम०पी०),  
बेलखरा, अहरौरा  
जनपद-मिर्जापुर(उ०प्र०)

**विषय:-** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक..... शून्य ..... दिनांक..... शून्य ..... के साथ संलग्न सहमति आवेदन-पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन-पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक..... 2944 ..... दिनांक 10/05/13 ..... संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० 01 से 12 पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर की मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलोब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजायन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष 2011-12 की बैलेन्स शीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल + वर्तमान - वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारण न किया जाय।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का संचालन तथा रख-रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

कमरा.....2/.....

1225

(2)

8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
10. आपके उपकर अधिनियम, 1977 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
11. वहिस्राव मात्र घरेलू प्रयोजन से जनित होगा जिसका निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोकपिट से करना सुनिश्चित करें।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड के लिए आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ० सं० ...../जल प्रदूषण/.....तददिनांक.....

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी सहमति (वृत्त-9) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी



1226

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए  
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

**सहमति आदेश-पत्र**

संख्या.....१२२६/चेतक/ सहमति जल/2013 सोनभद्र, दिनांक.10.05/13

विषय:- मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), बेलखरा, अहरौरा,  
जनपद-मिर्जापुर (30प्र०) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)  
अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु  
सहमति।

संदर्भ:- आवेदन-पत्र संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर वहिःश्राव के निस्तारण के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त आवेदन-पत्र प्राप्त के निर्देश में मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), को जल (को उसके परिसर से निकालने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक वहिःश्राव के स्थानीय सरिता/ नदी/कुएं में/भूमि पर निस्तारण करने के लिये अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष 2013 के मास अप्रैल दिनांक 30.04.2013 से 31.12.2013 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिये अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

राबर्ट्सगंज-सोनभद्र

सहमति आदेश सं०.....सहमति/ दिनांक ..... का संलग्नक

## सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक होनी चाहिए

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी <sup>3</sup>	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण
घरेलू		
औद्योगिक		

(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के  
जल सहित

(ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिये अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाये जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन का एक नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होने चाहिये। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिये। सहमति आवेदन-पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिये। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोम वाटर ट्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृति संयंत्र में शुद्धिकृति किया जाये जिससे शुद्धिकृति उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20 से० पर 5 दिन को बी०ओ०डी०

30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

कुल निलम्बित ठोस

100 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृति किया जाये की उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं० 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये हो उनका मान एद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिये।

7. विश्लेषित करने के लिये नमूना शर्त सं० 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम Mx15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कर्कट के चेम्बर होना चाहिये। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिये नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था है।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 6 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु..... में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाय। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाए बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनवाये जायें।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मान, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक सितम्बर, 2013 या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली-भाँति रखा जाये और किसी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाय। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले ढेर न लगाया जाय।
15. फ़ैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाली सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली-भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार निस्तारण किया जाये—
1. अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिये इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाय।
  2. ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रण प्रज्वलन किया जाये।
  3. जैविक अवघटय पदार्थ होने पर कम्पोस्टिक की जाए।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रख और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फ़ैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड की टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फ़ैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल, मेनहोल तथा अंकित निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन करने वाले दिनों में एक बार लिया जाए और उन्हीं शर्तों की संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गये निर्देश तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश के शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्त जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये व परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खाली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाये सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फैक्ट्री परिसर में अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाला चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, व पते व टेलीफोन की सूची दी जाय।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

1230



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्टसगंज, सोनभद्र

संदर्भ संख्या- २९५५/चेतक/वायु प्रदूषण/2013

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 10/05/13

मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि० (एच०एम०पी०),  
बेलखरा, अहरौरा,  
जनपद-मिर्जापुर (उ०प्र०)

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन-पत्र दिनांक शून्य का अवलोकन करें। आपके पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश सं० २९५५ सहमति (वायु) आदेश / २०१३ दिनांक 10/05/13 की संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 01,02,04,08-13 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. के०वी०ए० क्षमता के डी०जी० सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी० ऊँचा किया जाय।
3. फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे ई०पी० एक्ट, 1986 का प्राविधान, संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आऊट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

कमश.....2/.....

1231

(2)

9. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति-देनदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वाँछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।
12. स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार सुनिश्चित करें कि आस-पास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हों, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड के लिए आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ सं० ...../वायु प्रदूषण/.....तददिनांक.....

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी सहमति (वृत्त-9) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## (क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्टसगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

### सहमति आदेश-पत्र

संख्या...११५५/चेतक/सहमति वायु आदेश/२०१३.....सोनभद्र, दिनांक...१०/०५/१३

विषय:-सहमति-मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर(उ०प्र०) वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण)- अधिनियम, १९८१ की धारा २१/२२ के अन्तर्गत।

संदर्भ:- आवेदन संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

- वायु अधिनियम, १९८१ के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन-प्रपत्र मे० चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), को अपने संयंत्रों से संलग्न में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायु मंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
- यह सहमति वर्ष २०१३ के मास अप्रैल दिनांक ३०.०४.२०१३ से ३१.१२.२०१३ अवधि तक मान्य है।
- इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, १९८१ धारा (६) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, १९८७ के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक  
(सहमति शर्तें)

  
क्षेत्रीय अधिकारी

# 1233<sup>(2)</sup>

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### सोनभद्र

संलग्नक सहमति आदेश सं०...../सहमति (वायु) आदेश .....

दिनांक.....

### सहमति शर्तें

1. फलू गैस को प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

i. सम्बद्ध चिमनी

ii. —

iii. —

iv. —

v. —

2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

(i)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	मिलीग्राम प्रति नार्मल क्यूबिक मीटर
(ii)	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	—
(iii)	हाईड्रोजन, सल्फ ट्राई आक्साइड सल्फेट मिस्ट	—
(iv)	सल्फर ट्राई आक्साइड	पी०पी०एम०
(v)	कार्बन मोना आक्साइड	—
(vi)	हाइड्रोकार्बन	—
(vii)	अमोनिया	—
(viii)	फ्लोरीन	—
(ix)	मरकैप्टन	—
(x)		

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।

5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

(3)  
1234

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियन्त्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाये जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है। या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, जो सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा किसी अन्य आउट लेट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बद्ध समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम के धारा 21(6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन-पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जावेगी।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टरर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स, का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

  
 क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : मकान सं० 162 उत्तर-मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

संदर्भ 1972/चेतक (H.M.)/NOC/2012

दिनांक 07.06.2012

सेवा में,

मेसर्स-चेतक इण्टर प्राइजेज लि, एचएमओ प्लाण्ट।

बेल्खरा, अहरौरा, चुनार,

जनपद-मिर्जापुर। उ०प्र०।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नयी इकाई की स्थापना हेतु संचयन-इकाई की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक ..... पूरुषि ..... का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थल अ.ग.नं०-294/2

ग्राम-बेल्खरा, अहरौरा, चुनार,

जनपद-मिर्जापुर। उ०प्र०।

(ख) उत्पादन हॉट मिक्स मैटीरियल-1200 एम०टी०/दिन

(ग) मुख्य कच्चे माल स्टोन गिट, विटामिन

1200 एसओटी/दिन

(घ) औद्योगिक उत्प्रावह की मात्रा शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईंधन 500 क्वी०ए० डी०जी० सेट हेतु डीजल-100 ली०/दि०

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र-संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रावह, शुद्धिकरण मयत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम दो माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उपयोग करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाय। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विचार कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ..... 0.2 किलो ..... से अधिक नहीं होगी। सैण्टिक टैंक एवं सैण्टिफिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाय।
6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति उद्योग कार्यालय में दिनांक ..... 1.5.08.2012 ..... तक अवश्य प्रस्तुत किया जाय।
7. प्रस्तावित उद्योग-स्थल के चारों ओर अधिकतम ..... 2.0 ..... मीटर चौड़ी हरित पट्टीका का विकास किया जाय।
8. परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण भण्डारों तथा आपात नियम 1969 के अन्तर्गत आंकड़े शीट, दुर्घटना की सूचना आदि सूचनायें विभिन्न प्रारूपों में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. पर्यावरण स्टेटेमेंट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विलम्बतम 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
10. उद्योग द्वारा एक्सप्लोसिव विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाय।
11. लोकदायित्व बीमा अधिनियम 1991 का अनुपालन सुनिश्चित करें।
12. उद्योग द्वारा अग्नि शमन हेतु उचित व्यवस्था की जाय।
13. उद्योग द्वारा यदि किसी प्रकार का सालिड वेस्ट निकलता है तो उसके निस्तारण हेतु आवश्यक उपाय नियंत्रण के उपाय किये जायेंगे, ताकि पर्यावरण किसी भी रूप में प्रभावित न हो।
14. उद्योग द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक ..... का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
15. कच्चा पदार्थ के मिक्सिंग हेतु प्रस्तावित व्यावहारिक होटिंग हेतु में 500ओ एच 500 डीओ के रूप में प्रयुक्त इंधन जिसकी मात्रा 1000 ली/दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
16. उद्योग द्वारा होटिंग प्रक्रिया से जनित गैसीय उत्सर्जन का निस्तारण भू-तल से लगभग 10 मी ऊँची धिमनी द्वारा किया जायेगा।
17. 500 कैवीएस के डीओ सेट हेतु ध्वनि अवरोधक के साथ संलग्न एक्जस्टिव धिमनी को ऊँचाई आस-पास के भवन से लगभग 5.0 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
18. स्वयं अधिकारी द्वारा निर्गत भू-प्रयोग प्रमाण पत्र अनापात्त निर्ममन तिथि से एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
19. स्मरत कार्य बन्द जेड में किया जायेगा।
20. 10,000/- मात्र की बैंक गारंटी निर्धारित प्रालम्भ से एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
21. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर निर्गत एनओओसी स्वतः अनस्त समझा जायेगा।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 15.08.2012 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

1  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या

/ एन० ओ० सी०

तद दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता-वृत्त 2 उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तृतीय तल, सी-ब्लॉक, पिकप भवन गोमती नगर, लखनऊ-226010 .....
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मिर्जापुर-30901 .....
3. ....

क्षेत्रीय अधिकारी  
7c ml @Jade



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

## सहमति आदेश-पत्र

संख्या...२१५५/चेतक/सहमति वायु आदेश /...२०१३...सोनभद्र, दिनांक...१०/०५/१३

विषय:-सहमति-मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर(उ०प्र०) वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ:- आवेदन संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन-प्रपत्र मे० चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), को अपने संयंत्रों से संलग्न में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायु मंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष 2013 के मास अप्रैल दिनांक 30.04.2013 से 31.12.2013 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 धारा (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक  
(सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी

(2)  
1241

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र

संलग्नक सहमति आदेश सं०...../सहमति (वायु) आदेश .....

दिनांक.....

## सहमति शर्तें

1. प्लू गैस को प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - i. सम्बद्ध चिमनी
  - ii. —
  - iii. —
  - iv. —
  - v. —
2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।
 

(i) सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	मिलीग्राम प्रति नार्मल क्यूबिक मीटर
(ii) मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	—
(iii) हाईड्रोजन, सल्फ ट्राई आक्साइड सल्फेट मिस्ट	—
(iv) सल्फर ट्राई आक्साइड	पी०पी०एम०
(v) कार्बन मोना आक्साइड	—
(vi) हाइड्रोकार्बन	—
(vii) अमोनिया	—
(viii) फ्लोरीन	—
(ix) मरकैप्टन	—
(x)	—
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

## 1242

(3)

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियन्त्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।  
  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाये जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है। या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, जो सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा किसी अन्य आउट लेट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बद्ध समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

- 1243
14. इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
  15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
  16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम के धारा 21(6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
  17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन-पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
  18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जावेगी।
  19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
  20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टरर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स, का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
  21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

# 1244

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### (क्षेत्रीय कार्यालय)



उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए  
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म **XV**

### सहमति आदेश-पत्र

संख्या...29244.../चेतक/ सहमति जल/2013 सोनभद्र, दिनांक...10.10.13...

विषय:- मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर (उ०प्र०) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ:- आवेदन-पत्र संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर वहिःश्राव के निस्तारण के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त आवेदन-पत्र प्राप्त के निर्देश में मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), को जल (को उसके परिसर से निकालने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक वहिःश्राव के स्थानीय सरिता/ नदी/कुए में/भूमि पर निस्तारण करने के लिये अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष 2013 के मास अप्रैल दिनांक 30.04.2013 से 31.12.2013 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिये अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

राबर्टसगंज-सोनमद्र

सहमति आदेश सं०.....सहमति/ दिनांक ..... का संलग्नक

## सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक होनी चाहिए

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी <sup>3</sup>	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण
घरेलू औद्योगिक		

(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के  
जल सहित

(ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिये अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाये जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन का एक नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होने चाहिये। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिये। सहमति आवेदन-पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिये। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृति संयंत्र में शुद्धिकृति किया जाये जिससे शुद्धिकृति उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20 से० पर 5 दिन को बी०ओ०डी०

30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

4. कुल निलम्बित ठोस 100 मिग्रा/ली० से अधिक न हो। सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृति किया जाये की उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं० 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये हो उनका मान एद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिये।
7. विश्लेषित करने के लिये नमूना शर्त सं० 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।
8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम Mx15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कर्कट के चेम्बर होना चाहिये। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिये नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह (उपरोक्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 6 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु..... में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाय। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाए बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनवाये जायें।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मान, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक सितम्बर, 2013 या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली-भाँति रखा जाये और किसी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाय। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले ढेर न लगाया जाय।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाली सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली-भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार निस्तारण किया जाये—
1. अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिये इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाय।
  2. ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रण प्रज्वलन किया जाये।
  3. जैविक अवघटय पदार्थ होने पर कम्पोस्टिक की जाए।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रख और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड की टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल, मेनहोल तथा अंकित निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह कानून की किसी भी सामान्य उत्पादन काय किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हीं शर्त की संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गये निर्देश तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश के शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्त जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये व परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खाली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फ़ैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाये सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फ़ैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फ़ैक्ट्री परिसर में अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाला चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, व पते व टेलीफोन की सूची दी जाय।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

1248

सहमति (वायु)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

## सहमति आदेश-पत्र

संख्या...4152/चेतक(एच0एम0पी0)/सहमति वायु आदेश/...2013...सोनभद्र. दिनांक...05-12-14

विषय:-सहमति-मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(एच0एम0पी0), बिल्ली, बेलखरा, अहौरा, जनपद-मिर्जापुर(30प्र0) वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ:- आवेदन संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन-प्रपत्र मे0 चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(एच0एम0पी0) को अपने संयंत्रों से संलग्न में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायु मंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष, 2014 के जनवरी दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2015 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 धारा (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक . संलग्नक  
(सहमति शर्त)

क्षेत्रीय अधिकारी

1249

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र

संलग्नक सहमति आदेश सं०...../सहमति (वायु) आदेश .....

दिनांक.....

## सहमति शर्तें

1. फ्लू गैस को प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - i. ....
  - ii. —
  - iii. —
  - iv. —
  - v. —
2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।
 

(i)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	मिलीग्राम प्रति नार्मल क्यूबिक मीटर
(ii)	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	—
(iii)	हाईड्रोजन, सल्फ ट्राई आक्साइड सल्फेट मिस्ट	—
(iv)	सल्फर ट्राई आक्साइड	पी०पी०एम०
(v)	कार्बन मोना आक्साइड	—
(vi)	हाइड्रोकार्बन	—
(vii)	अमोनिया	—
(viii)	फ्लोरीन	—
(ix)	मरकैप्टन	—
(x)		—
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

1250<sup>3</sup>

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियन्त्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।  
  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाये जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है। या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, जो सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा किसी अन्य आउट लेट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बद्ध समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए  
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

## सहमति आदेश-पत्र

संख्या...4152/चेतक (एच0एम0पी0)/सहमति जल/2013 सोनभद्र, दिनांक...05.12.13

विषय:- मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(एच0एम0पी0), बेलखरा, अहरौरा,  
जनपद-मिर्जापुर (उ0प्र0) को जल (प्रदूषण निवारण एवं  
नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह  
निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ:- आवेदन-पत्र संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर वहिःश्राव के निस्तारण के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त आवेदन-पत्र प्राप्त के निर्देश में मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(एच0एम0पी0), को जल (को उसके परिसर से निकालने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक वहिःश्राव के स्थानीय सरिता/ नदी/कुएं में/भूमि पर निस्तारण करने के लिये अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष 2014 के मास जनवरी दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2015 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिये अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

# (2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## राबर्ट्सगंज-सोनमद्र

सहमति आदेश सं०.....सहमति/ दिनांक ..... का संलग्नक

### सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक होनी चाहिए

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी <sup>3</sup>	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण
घरेलू औद्योगिक	.....	

(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के  
जल सहित

(ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिये अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाये जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन का एक नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होने चाहिये। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिये। सहमति आवेदन-पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिये। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृति संयंत्र में शुद्धिकृति किया जाये जिससे शुद्धिकृति उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20 से0 पर 5 दिन को बी0ओ0डी0

30 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो।

कूल निलम्बित ठोस

100 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृति किया जाये की उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं० 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये हो उनका मान एद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिये।
7. विश्लेषित करने के लिये नमूना शर्त सं० 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।
8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम Mx15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कर्कट के चेम्बर होना चाहिये। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिये नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।

## 1254

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 6 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु..... में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाय। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाए बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनवाये जायें।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मान, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक सितम्बर, 2014 या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली-भाँति रखा जाये और किसी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाय। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले ढेर न लगाया जाय।
15. फ़ैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाली सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली-भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार निस्तारण किया जाये—
  1. अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिये इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाय।
  2. ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रण प्रज्वलन किया जाये।
  3. जैविक अवघटय पदार्थ होने पर कम्पोस्टिक की जाए।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रख और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फ़ैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड की टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फ़ैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

- 1255
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह जमा किसी भी सामान्य उत्पादन का जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हीं शर्त की संख्या 3 व 4 में दी सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गये निर्देश तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश के शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्त जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये व परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खाली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फ़ैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाये सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फ़ैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फ़ैक्ट्री परिसर में अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाला चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझादार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, व पते व टेलीफोन की सूची दी जाय।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

01/2  
Banshi p.w.s.

1256



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर—मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय: टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

सहमति (वायु)

## सहमति आदेश पत्र

संख्या ..... 91/20 ..... /सहमति (वायु) आदेश/ ..... 20/27 ..... सोनभद्र, दिनांक 12/05/2017

विषय:- सहमति मेसर्स चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(H.M.P.), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर (उ0प्र0) वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

सन्दर्भ :- आवेदन संख्या- शून्य दिनांक 27.04.2017

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त सन्दर्भित आवेदन प्रपत्र मेसर्स चेतक इण्टरप्राइजेज लि0 (H.M.P.) को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायु मण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति आदेश वर्ष 31-12-2017 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्तें)

  
 क्षेत्रीय अधिकारी

1257  
(2)

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## सोनभद्र

संलग्नक सहमति आदेश सं०...../सहमति (वायु) आदेश/.....

दिनांक.....

### सहमति शर्तें

1. फलू गैस को प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

वायु प्रदूषण के स्रोत	प्रयुक्त ईंधन	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था
(i) फ्यूजिटिव उत्सर्जन	—	विण्ड ब्रेकिंग वाल, कवर्ड वाइब्रेटरी स्क्रीन, वाटर स्पिंकलर, हरित पट्टिका, बोल्टर रोड, इत्यादि।
(ii) —	—	—
(iii) —	—	—
(iv) —	—	—
(v) —	—	—

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

(i) सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	—	600 माइक्रोग्राम प्रति नार्मल धन मीटर।
(ii) मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि)	—	—
(iii) हाइड्रोजन, सल्फ ट्राई आक्साइड, सल्फेट मिस्ट	—	—
(iv) सल्फर ट्राई आक्साइड	—	पी०पी०एम०
(v) कार्बन मोनो आक्साइड	—	—
(vi) हाइड्रोकार्बन	—	—
(vii) अमोनिया	—	—
(viii) फ्लोरीन	—	—
(ix) मरकैप्टन	—	—
(x)	—	—


3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के निदेशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

(3)

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त सन्दर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के ..... माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो सन्दर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, जो सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा किसी अन्य आउट लेट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बद्ध समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

(4)

15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम के धारा 21(6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जावेगी।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

  
 क्षेत्रीय अधिकारी  
 १९/१२/२०१८  


सहमति (जल)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर-मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए  
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

## सहमति आदेश पत्र

संख्या 9120 /सहमति/ 2017 सोनभद्र, दिनांक 12.10.17

**विषय:-** मेसर्स चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(H.M.P.), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण हेतु सहमति।

**सन्दर्भ:-** आवेदन पत्र संख्या- शून्य दिनांक 27.04.2017

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मेसर्स चेतक इण्टरप्राइजेज लि0 (H.M.P.) को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुयें में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति आदेश 31-12-2017 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

**संलग्नक:** अनुलग्नक (सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी  
P. K. S. S. S.

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## सोनभद्र

सहमति आदेश सं० ..... सहमति/ दिनांक.....का संलग्नक

### सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी <sup>3</sup>	अधिकतम प्रति घण्टा निस्तारण
घरेलू - औद्योगिक	1500 ली०/दिन	-
(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के जल सहित	-	-
(ब) शीतल जल	-	-

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाये जायें। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापक का एक नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20° से० पर 5 दिन को बी०ओ०डी०  
कुल निलम्बित ठोस

30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।  
100 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं० 713/37/83/19ए आर एन दिनांक 06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये हों उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

(3)

7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में सन्दर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।
8. शर्त संख्या 2 में सन्दर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम Mx15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कर्कट के चेम्बर होना चाहिए। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।
9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 6 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु ..... में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये बन्द पाइपों मत्तें स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनावाये जायें।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मान, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दि० ..... या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले ढेर न लगाया जाये।
15. फ़ैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाली सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार निस्तारण किया जाये—
  1. अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाय।
  2. ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रण प्रज्वलन किया जाये।
  3. जैविक अवघटय पदार्थ होने पर कम्पोस्टिक की जाए।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रख और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में अनुमति लेकर किया जाए।

(4)

17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाये और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड की टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करे। सभी पाईप, वल्व, सीवर, और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल, मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हीं शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गए निर्देश तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश के शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्त जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेंगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खाली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकृत संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फैक्ट्री परिसर में अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर में बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म तक उत्प्रवाह ले जाने वाला चैनल, सीवर, ड्रेन या नालें में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, व पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है।

*S. K. Choudhary*  
क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*



**1264**  
 क्षेत्रीय कार्यालय,  
 REGIONAL OFFICE,  
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
 U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
 सोनभद्र  
 SONBHADRA



संदर्भ संख्या:- 670023/O.A.No-112/2024/2026  
 Ref.No.:

दिनांक:- 13/01/2026  
 Date:

अतिमहत्वपूर्ण / मा० एन०जी०टी० प्रकरण

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
 मीरजापुर वन प्रभाग,  
 मीरजापुर।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-112/2024 (आई०ए० नं०-430/2025, आई०ए० नं०-45/2024) चौधरी यशवन्त सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.10.2025 के अनुपालन सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-112/2024 (आई०ए० नं०-430/2025, आई०ए० नं०-45/2024) चौधरी यशवन्त सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक-09.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त आदेश के प्रमुख अंश निम्नवत् हैं:-

....."2. In terms of the earlier directions, the DFO, Mirzapur has filed the affidavit dated 08.10.2025 disclosing the assessment of damage caused to the forest and forest property due to the encroachment made by the project proponent A.C.P toll plaza. It has been disclosed that the total area under pathway and temporary structure on the forest land is found to be 0.41 hectares. A vague term "resulting in absence of trees" has been used in the affidavit which was clarified by Counsel for the State of U.P that the same refers to loss of trees. The number and values of trees which have been illegally cut/loss in the process has been calculated as 2 Rs. 4,49,997/- in reference to 656 trees and the penalty amount has been calculated to be ten times of the value of the tree i.e. Rs. 44,99,970/-.

3. Learned Counsel appearing for the State of U.P. seeks time to file further affidavit disclosing the forest offence which has been registered against the persons responsible for illegal felling of trees, the status of the forest case and also the action which is proposed/taken for restoration of damaged forest.

4. Learned counsel appearing for UPPCB has also sought time to calculate the environmental compensation on account of the damage caused to the environment due to the illegal felling of trees...":

7.List on 16.01.2026.

उपरोक्त संदर्भित ओ०ए० संख्या में जनपद-मीरजापुर के अन्तर्गत आच्छादित ए०सी०पी० टोल प्लाजा ग्राम-बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से टोल प्लाजा का निर्माण एवं संचालन कर वन भूमि का दुरुपयोग और नुकसान किये जाने से सम्बन्धित है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.10.2025 के अनुपालन में उक्त संदर्भित टोल प्लाजा इकाई द्वारा अवैध रूप से काटे गये वृक्षों से पर्यावरण को हुये नुकसान/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के सापेक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलन हेतु निम्नवत् विन्दुओं पर सूचनायें वाँछनीय हैं:-

1. Diameter of tree in centimeter.
2. Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance cost).
3. Species.

क्रमशः 2/पर....

# 1265

(2)

4. Condition Factor :-

- Root plate is undisturbed, trunk is sound and solid Excellent vigor with formed canopy.
- Moderate damage and defects in root plate, trunk and canopy.
- Major (more than 50%) damage and defects in root plate, trunk and canopy which would be very difficult to restore.

5. Location Factor :-

- Tree located in wild life sanctuaries. national parks, conservation Reservem RF/PF, Eco Sensitive Zone. Van panchayat.
- Tree located in Nagar Nigam Area
- Tree located in Nagar palika Area.
- Tree Located Nagar Panchayat Area.
- Location in rural landscapes. Higher score to be given to tress based on their proximity to commercial areas.

6. Royalty Value.

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.10.2025 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलन हेतु उपरोक्त वर्णित विन्दुओं के सापेक्ष काटे गये वृक्षों से सम्बन्धि सूचनायें इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि ससमय पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलित किया जाना सम्भव हो सके। प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन है तथा सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 16.01.2026 नियत है। आपका विशेषाध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

*R*  
13/1/26

(आर0के0 सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी

७/c

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित:-

- जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर।
- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

*R*  
13/1/26

क्षेत्रीय अधिकारी

७/c

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर**  
 पत्रांक-2318 /मीरजापुर/ 10रिट, दिनांक, मीरजापुर, जनवरी। 3, 2026

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यालय,  
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
 सोनभद्र।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए०-112/2024 आई०ए०-430/2025, आई०ए०-45/2024) चौधरी यशवंत सिंह बनाम् यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.10.2025 के अनुपालन कररने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक-G0023/O.A. No. 112/2024/2026 दिनांक 13.01.2026 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र संख्या-240/मीरजापुर/10रिट, दिनांक 16.07.2025 के माध्यम से स्थलीय अभिलेखीय जाँच हेतु समिति का गठन किया गया। गठित समिति के अध्यक्ष प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-862/33-2/ज्ञानपुर, दिनांक 03.10.2025 द्वारा जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसकी छाया प्रति संलग्नकर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राकेश कुमार)  
 प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

व/क

संख्या 2318 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, महोदय, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भदोही वन प्रभाग, भदोही  
पत्रांक- 862 / 33-1 / ज्ञानपुर दिनांक, अक्टूबर, 05 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

विषय - मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 नं0 112/2024 से संबंधित जांच  
आख्या।

संदर्भ - आपका कार्यालय पत्रांक 240/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 16.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0  
नम्बर- 112/2024 चौधरी यशवंत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश के क्रम में  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा खाली कराये गये 4.00 हे० भूमि अतिक्रमण पर विपक्षी ए0सी0पी0  
टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के कारण वन एवं वन सम्पदा को हुई क्षति के  
मात्राकरण व मूल्यांकन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन निम्न प्रकार  
किया गया था।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	प्रभाग का नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	2	3	4	5
1	श्री विवेक यादव	प्रभागीय वनाधिकारी	भदोही वन प्रभाग	अध्यक्ष
2	श्री शेख मुअज्जम	उप प्रभागीय वनाधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य
3	श्री हिमांशु श्रीवास्तव	क्षेत्रीय वन अधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य

उक्त आदेश के क्रम में गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 16.09.2025 को मौके का निरीक्षण किया  
गया तथा निरीक्षणोपरान्त ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के कारण वन  
ए वन सम्पदा को हुई क्षति का मूल्यांकन कर क्षति की धनराशि व जांच रिपोर्ट आपकी सेवा में  
संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हिमांशु श्रीवास्तव)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
मीरजापुर वन प्रभाग,

(शेख मुअज्जम)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

(विवेक यादव)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
भदोही वन प्रभाग, भदोही

जांच आख्या

1268

गा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आदेश नं० 112/2024 चौधरी यशवन्त सिंह वनाम सुनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2025 के गिन्दु संख्या-4 में निम्न आदेश दिया गया है-

".....4. Alongwith the report, annexure A-5 has been enclosed disclosing that the possession of 4 hectares of land has been taken by the forest department after removing the encroachment- In the map, Annexure A-6 (Page 1157), the location of 4 hectares of land from which the encroachment has been removed has been shown. The District Magistrate, Mirzapur has also enclosed the photographs from page 1158 onwards showing the nature of encroachment and its removal. The said photographs reveal that some damage has been caused to the trees. Hence, the Respondent No. 6, Chief Conservator of Forest, Mirzapur is directed to ascertain the extent of damage suffered by the forest on account of the unauthorized encroachment and to quantify the value of damage in monetary terms."


उक्त आदेश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर ने अपने पत्र संख्या-240/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 16.07.2025 द्वारा जांच समिति गठित की गयी। गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 12.09.2025 को चुनार रेंज के अर्न्तगत ए०सी०पी० टोल प्लाजा द्वारा 4.00 हे० वन भूमि पर पूर्व में अतिक्रमित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया।



अ-पहुँच मार्ग के रूप में प्रयुक्त क्षेत्र



ब-वन क्षेत्र जिसे क्षति नहीं पहुँचाई गयी




स-अतिक्रमित 4.00 हे०

ए०सी०पी० टोल प्लाजा व वन क्षेत्र का नजरी नक्शा

Q

*[Handwritten signature]*

निरीक्षण के उपरान्त मन्वेटी द्वारा अतिक्रमण से अन्तर्गत यह पाया गया कि अधिकारा भाग में वन क्षेत्र को हॉनि नहीं पहुँचाई गयी थी परन्तु उक्त क्षेत्र में पहुँच मार्ग व अस्थायी भवनों का निर्माण की गयी थी जिसके कारण वहाँ पर किसी प्रकार का वृक्ष नहीं पाया गया। उक्त पहुँच मार्ग व भवन के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 0.41 हे० पाया गया। उक्त प्रभागीय वनाधिकारी व क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस पर विभागीय कार्यवाही करते हुए रेंज केस संख्या 01/2024-25/मुंनार, ए.सी.पी. टोलवेज के विरुद्ध अवैध अतिक्रमण के संबंध में इजारा किया गया है।



द०-वन विभाग द्वारा अतिक्रमण से अवमुक्त कराये गये क्षेत्र व इससे लगे हुए क्षेत्र की स्थिति जो वर्तमान में ए०सी०पी० टोल प्लाजा के स्वामित्व में है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि पहुँच मार्ग व भवन व अन्य संरचनाओं के निर्माण के कारण वहाँ पर स्वभाविक रूप से वृक्षों को विद्यमान होना था परन्तु अतिक्रमण/निर्माण के कारण उक्त 0.41 हे० क्षेत्र पर वनावरण नहीं पाया गया।

(A) वन क्षेत्रों में वनावरण/वृक्षों को हुई क्षति की गणना निम्न प्रकार की गयी।

अतिक्रमित 4.00 हे० भूमि पर चार विभिन्न स्थानों पर 0.10 हे० के नमूना प्लॉट (sample plot) चयनित किए गए। इन प्लॉटों में पाई गई प्लाटवार प्रजातियों का विवरण निम्न प्रकार है। चार प्रमुख प्रजातियों की प्रचुरता एवं उनके व्यास वर्ग (Diameter Class) का अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किया गया।

क्र०स०	प्लॉट संख्या	नमूना प्लॉट (sample plot) में पायी गयी प्रजातियों की संख्या							योग
		सागौन	शीशम	नीम	सिरस	अमरूद	देसीबबूल	आँवला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	101	19	11	9	8	7	7	162
2	02	79	21	13	11	9	9	8	150
3	03	87	23	17	12	13	11	9	172
4	04	66	18	20	20	17	16	15	172
योग-		333	81	61	52	47	43	39	656

*Es*

*Sh. M.*

*T.*

नमूना प्लॉट (sample plot) औसतन पायी गयी प्रजातियों का विवरण :-

- सागौन-333 पौध प्रति नमूना प्लाट
- शीशम-81 पौध प्रति नमूना प्लाट
- नीम-61 पौध प्रति नमूना प्लाट
- सिरस-52 पौध प्रति नमूना प्लाट
- अमरुद-47 पौध प्रति नमूना प्लाट
- देसीबबूल-43 पौध प्रति नमूना प्लाट
- आँवला-39 पौध प्रति नमूना प्लाट

1270

इसप्रकार 0.41 हे०  
में औसतन 656 वृक्ष  
पाये गये।

उपरोक्त नमूना प्लॉट (sample plot) में पाये गये सागौन, शीशम, अमरुद, देसी बबूल, नीम, सिरस व आँवला प्रजातियों का औसतन गर्त लगभग क्रमशः 10-20, 10-20, 20-30 व 10-20 व्यास श्रेणी के पाये गये।

(B) उक्त अतिक्रमित क्षेत्रफल में हुई हानि का आगणन निम्न प्रकार किया गया है -

क्रम संख्या	वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी	अनुसूचितदर (रू०) प्रति पौध	औसतन वृक्षों की संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सागौन	10-20	903	333	300699
2	शीशम	10-20	903	81	73143
3	नीम	20-30	404	61	24644
4	सिरस	10-20	309	52	16068
5	अमरुद	10-20	267	47	12549
6	देसी बबूल	10-20	267	43	11481
7	आँवला	10-20	267	39	10413
योग-					449997

तदनुसार कुल आर्थिक हानी हुई समस्त प्रजाति का दर = 449997 रुपये।

उपरोक्त समस्त दरें मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, मीरजापुर द्वारा पत्र संख्या 5078/मीरजापुर/37(अनुदर) दिनांक 18 जून 2025 के माध्यम से निर्गत दरों के अनुसार विभिन्न वृक्ष प्रजातियों की अनुसूचित दरें अधिसूचित की गई हैं।

तदनुसार संबंधित वृक्ष प्रजाति की अनुसूचित दर का निर्धारण किया गया। उक्त वृक्ष प्रजातियों का आर्थिक मूल्यांकन वृक्षों की व्यास श्रेणी के आधार पर किया गया है।

आरक्षित वन क्षेत्र में वन अपराध कारित करते हुये वृक्षों को हुई क्षति के दृष्टिगत उक्त हानि का दस गुना अर्थ दण्ड अर्थात् रू० 4499970.00 अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त निरीक्षण रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हिमांशु श्रीवास्तव)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग

(शेख मुअज्जम)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

(विवेक यादव)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
भदोही वन प्रभाग, भदोही

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 112 OF 2024

**IN THE MATTER OF:**

**CHAUDHARY YASHWANT SINGH**

**.....APPLICANT**

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS**

**.....RESPONDENT(S)**

**INDEX**

<b>S.No.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
<b>1.</b>	<b>AFFIDAVIT ON BEHALF OF DFO, MIRZAPUR, U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 02.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI</b>	
	<b>ANNEXURES</b>	
<b>2.</b>	<b>COPY OF THE LETTER DT. 16.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1</b>	
<b>3.</b>	<b>COPY OF THE LETTER DT. 03.10.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2</b>	
<b>4.</b>	<b>COPIES OF PHOTOGRAPHS OF SAMPLING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3</b>	
<b>5.</b>	<b>COPY OF THE ORDER DT. 18.06.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4</b>	
<b>6.</b>	<b>COPY OF THE INQUIRY REPORT ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5</b>	

1182  
1272

*THROUGH COUNSEL*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bpsjadon', with a long horizontal stroke extending to the right.

BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- [bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

Ph: 9639286572

**DATE: 08.10.2025**

**PLACE: NOIDA**



1183  
1273

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 112 OF 2024



IN THE MATTER OF:

CHAUDHARY YASHWANT SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS

.....RESPONDENT(S)



AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE  
OF THE ORDER DT. 08/10/2025, DFO, MIRZAPUR, U.P. BY THE HON'BLE  
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

हसीना बी.पी. (डिवायन)  
रजि. नं. UP03862/17  
मध्य आयुक्त, मीरजापुर

I, Rakesh Kumar aged about 42 years S/o Dr. Ram Lal.....  
presently posted as Divisional forest Officer, Mirzapur do hereby  
solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am the Deponent in the above captioned matter and am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

*[Handwritten signature]*  
08/10/2025

1184  
1274

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

**1. BACKGROUND OF THE MATTER**

3. That in the present matter, the grievance of the applicant is that the Project Proponent, Respondent no. 1 in collusion with the Uttar Pradesh State Highway Authority and other concerned officers of the State have illegally constructed/ operating toll tax plaza (toll free collection booth/hot-mix plant) at Village Belkhara, Pargana-Ahraura, Teshil Chunar, District Mirzapur on Araji No. 291 Mi in area of 15 Bigha which has been declared as Forest Land.

4. That the present matter was last listed for hearing on 02.07.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

*"4. Alongwith the report, Annexure A-5 has been enclosed disclosing that the possession of 4 hectares of land has been taken by the Forest Department after removing the encroachment. In the map, Annexure A-6 (page 1157), the location of 4 hectares of land from which the encroachment has been removed has been shown. The District Magistrate, Mirzapur has also enclosed the photographs from page 1158*

1184/25  
हसीना बानो एडवोकेट  
रजि० नं० UPO3862/17  
शपथ आयुक्त, मीरजापुर

1184/25  
02/07/2025

1185  
1275

onwards showing the nature of encroachment and its removal. The said photographs reveal that some damage has been caused to the trees. Hence, the Respondent No. 6, Chief Conservator of Forest, Mirzapur is directed to ascertain the extent of damage suffered by the forest on account of the unauthorized encroachment and to quantify the value of damage in monetary terms."

## II. CONSTITUTION OF THE THREE-MEMBER COMMITTEE

5. That in compliance of the aforesaid directions, the Deponent vide letter 16.07.2025 constituted a three-member committee for the quantification and assessment of damage caused to the forest and forest property due to encroachment made by the opposite party, **A.C.P. Toll Plaza**, over **4.00 hectares of forest land** vacated by the Mirzapur Forest Division, Mirzapur.

6. The composition of the said inquiry committee is as follows:

Name	Designation	Forest Division	Role
Shri Vivek Yadav	Divisional Forest Officer	Bhadohi Forest Division	Chairman
Shri Sheikh Muazzam	Sub-Divisional Forest Officer	Mirzapur Forest Division	Member
Shri Dimandu Srivastava	Range Forest Officer	Mirzapur Forest Division	Member

हमीना बानी एडवा.रि.ई.  
रजि.नं. UPO3862/17  
अध्य. आरक्षक, मीरजापुर

08/10/2025

1186  
1276

A Copy of the letter dt. 16.07.2025 has been annexed herewith as  
**ANNEXURE R-1.**

### **III. REPORT OF THE COMMITTEE**

7. That the Divisional Forest Officer, vide letter dt. 03.10.2025 provided the report of the Inquiry Committee.

A Copy of the letter dt. 03.10.2025 has been annexed herewith as  
**ANNEXURE R-2.**

8. That the said inquiry committee conducted a site inspection on **12.09.2025**. Upon inspection, the committee observed that although no substantial damage was caused to most parts of the forest area, a **pathway and temporary structures** had been constructed on certain parts of the land, resulting in an absence of trees there. The total area under these structures and access roads was found to be upon the **0.41 hectare**. The Sub-Divisional Forest Officer and Range Forest Officer informed that departmental proceedings have already been initiated with respect to the illegal encroachment.

9. It is evident that due to the construction of access roads, buildings, and other structures, the area where trees were naturally present now lacks forest cover over **0.41 hectare**.

हसीना बानो एडवोकेट  
रजि० नं० UP03862/17  
भाष्य आयुक्त, भोरजापुर

  
08/10/2025

1187  
1277

10 (A) Assessment of Damage to Forest Cover / Trees

That for estimation, four sample plots of 0.1025 hectare each (totaling 0.41 ha) were selected in the encroached area. The tree species observed

in each sample plot are listed below. The abundance and diameter class of four major species were analyzed to arrive at final conclusions.

Sample Plot Species Data

S. No.	Plot	Teak (Sagaun)	Shisham	Neem	Siris	Guava	Desi Babul	Amla	Total
1	01	101	19	11	9	8	7	7	162
2	02	79	21	13	11	9	9	8	150
3	03	87	23	17	12	13	11	9	172
4	04	66	18	20	20	17	16	15	172
TOTAL		333	81	61	52	47	43	39	656

हरिना  
रजि. नं. UPO3862/17  
ग्राम आयुक्त, भीरजापुर  
12/10/21

Copies of photographs of Sampling have been annexed herewith as ANNEXURE R-3.

11. Therefore, average number of trees per sample plotting:

- Teak (Sagaun): 333
- Shisham: 81
- Neem: 61
- Siris: 52
- Guava: 47
- Desi Babul: 43

08/10/21

1188  
1278

- Amla: 39

12. Thus, an average of **656 trees** were found upon the 0.41 hectare area.

13. That the diameter class of the abovementioned species of trees was found to be approximately 10-20, 10-20, 20-30 and 10-20 respectively.

**14.(B) Valuation of Damage in the Encroached Area**

S. No.	Tree Species	Diameter Class (cm)	Notified Rate (₹/tree)	Average No. of Trees	Total Amount (₹)
1	Teak (Sagaun)	10-20	903	333	3,00,699
2	Shisham	10-20	903	81	73,143
3	Neem	20-30	404	61	24,644
4	Siris	10-20	309	52	16,068
5	Guava	10-20	267	47	12,549
6	Desi Babul	10-20	267	43	11,481
7	Amla	10-20	267	39	10,413
<b>Total</b>					<b>4,49,997</b>

15. Accordingly, the total economic loss for all species is Rs. 4,49,997.

16. That the above-mentioned rates have been determined as per the notified schedule of rates issued by the Office of the Chief Conservator of Forests,

8/12/21  
हरिना बानी एडवोकेट  
रजि. नं० UP-03862/17  
शांभू आर्य, मीरजापुर

  
09/10/2025  


1189  
1279

Mirzapur, vide Order no. 5078/Mirzapur/37 (Rates) dated 18.06.2025, applicable to different tree species.

A Copy of the Order dt. 18.06.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

17. That based on these scheduled rates and tree diameter categories, the monetary valuation of damage has been carried out. Considering the ecological loss caused due to illegal encroachment and damage to trees in a Reserved Forest Area, it is deemed appropriate to impose a penalty equivalent to ten times the estimated loss, i.e., Rs. 44,99,970.

A Copy of the Inquiry Report has been annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**


18. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

19. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

8/1/25  
हैरिना बानो एडवोकेट  
रजि० नं० UP03862/17  
शांति आशुका, मीरजापुर

*[Signature]*  
08/07/2025


1190  
1280

  
08/10/2025  
DEPONENT

**VERIFICATION**

Verified at \_\_\_\_\_ on this \_\_\_\_ day of October, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 19 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

  
08/10/2025  
हसीना बानो एडवोकेट  
रजि. नं. UPO3862/17  
शापथ आयुक्त, मीरजापुर

  
08/10/2025  
DEPONENT  


1191  
1281

भारत सरकार  
Government of India



राकेश कुमार  
Rakesh Kumar  
जन्म तिथि / DOB : 08/08/1983  
पुरुष / Male



आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार  
Government of India

पता: आत्मज: राम लाल, 1730 फ,  
रामाश्रम कॉलोनी, मंडी अहमद खान,  
जाँनपुर, अरजी नवादा, जाँनपुर,  
जाँनपुर कटी, उत्तर प्रदेश, 222002

Address: S/O: Ram Lal, 1730 F.  
RAMASHRAM COLONY, MANDI AHMAD  
KHAN, JAUNPUR, Arazi Newada.  
Jaunpur, Jaunpur Kty., Uttar Pradesh,  
222002

1947  
1800 300 1947

help @ uidai.gov.in

www  
www.uidai.gov.in

1192

1282

कार्यालय मुख्य वन संरक्षण, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।  
पत्रांक- १५० / मीरजापुर / 10रिट / दिनांक, मीरजापुर, जुलाई / 6 - 2025

कार्यालय आदेश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०- 112/2024 चौधरी यशवन्त सिंह बनाम युनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 02.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या-4, जो निम्न प्रकार है:-

".....4. Alongwith the report, annexure A-5 has been enclosed disclosing that the possession of 4 hectares of land has been taken by the forest department after removing the encroachment. In the map, Annexure A-6 (Page 1157), the location of 4 hectares of land from which the encroachment has been removed has been shown. The District Magistrate, Mirzapur has also enclosed the photographs from page 1158 onwards showing the nature of encroachment and its removal. The said photographs reveal that some damage has been caused to the trees. Hence, the Respondent No. 6, Chief Conservator of Forest, Mirzapur is directed to ascertain the extent of damage suffered by the forest on account of the unauthorized encroachment and to quantify the value of damage in monetary terms."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.07.2025 के क्रम में मीरजापुर वन प्रभाग द्वारा खाली कराये गये 4.00 हे० अतिक्रमण पर विपक्षी ए०सी०पी० टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के कारण वन एवं वन सम्पदा को हुई क्षति के मात्राकरण एवं मूल्यांकन हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है:-

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	प्रभाग का नाम	
1	श्री विवेक यादव	प्रभागीय वनाधिकारी	भदोही वन प्रभाग	अध्यक्ष
2	श्री शेख मुअज्जम	उप प्रभागीय वनाधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य
3	श्री हिमांशु श्रीवास्तव	क्षेत्रीय वन अधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य

उपरोक्त गठित समिति स्थलीय सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट 15 दिन में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मिश्रा)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या १५० अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित:-

- 1-श्री विवेक यादव, प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग।
- 2-श्री शेख मुअज्जम, उप प्रभागीय वनाधिकारी (मीरजापुर) द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग।
- 3-श्री हिमांशु श्रीवास्तव, क्षेत्रीय वन अधिकारी, द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग।

(मनीष मिश्रा)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

क-दी  
मुख्य वन संरक्षक  
क-दी  
16/07/25

जान किया  
16/7/25

1193  
1283

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भदोही वन प्रभाग, भदोही  
पत्रांक- 862 / 33-1 / ज्ञानपुर दिनांक ANNEXURE B-2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र,

मीरजापुर।

विषय - मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 नं0 112/2024 से संबंधित जांच आख्या।

संदर्भ - आपका कार्यालय पत्रांक 240/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 16.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर- 112/2024 चौधरी यशवंत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश के क्रम में मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा खाली कराये गये 4.00 हे० भूमि अतिक्रमण पर विपक्षी ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के कारण वन एवं वन सम्पदा को हुई क्षति के मात्राकरण व मूल्यांकन हेतु अघोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया था।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	प्रभाग का नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	2	3	4	5
1	श्री विवेक यादव	प्रभागीय वनाधिकारी	भदोही वन प्रभाग	अध्यक्ष
2	श्री शेख मुअज्जम	उप प्रभागीय वनाधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य
3	श्री हिमांशु श्रीवास्तव	क्षेत्रीय वन अधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य

उक्त आदेश के क्रम में गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 16.09.2025 को मौके का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षणोपरान्त ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के कारण वन एवं वन सम्पदा को हुई क्षति का मूल्यांकन कर क्षति की धनराशि व जांच रिपोर्ट आपकी सेवा में सलंगन कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हिमांशु श्रीवास्तव)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
मीरजापुर वन प्रभाग,

(शेख मुअज्जम)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

(विवेक यादव)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
भदोही वन प्रभाग, भदोही

# 1284



1195  
1285

ANNEXURE R-4

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक- 5078 / मीरजापुर / 37(अनु0दर) दिनांक, मीरजापुर, जून 18 - 2025

स्थायी आदेश

इस क्षेत्र के विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों एवं जलौनी लकड़ी आदि की अनुसूची दरों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष बढ़ती हुई मंहगाई, बाजार भाव को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षों के अनुसूची दरों का पुनरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है। वर्ष 2025-26 में अनुसूची दरों के पुनरीक्षण हेतु इस क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रभागीय वनाधिकारियों के प्रस्ताव के आधार पर मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण के वृक्षों, जलौनी लकड़ी एवं बांस आदि के लिए अनुसूची दरों का निर्धारण किया गया। उक्त दरें दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी होगी।

(मनीष मित्तल)  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 5078 अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की अनुसूची दरें जो संलग्न कर प्रेषित की जा रही है यह दरें निर्धारित तिथि से प्रभावी होगी। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(मनीष मित्तल)  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 5078 ब / समदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं कार्ययोजना, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- समस्त वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तरे प्रदेश, लखनऊ।

(मनीष मित्तल)  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

राजस्व  
आवक  
करे  
31/06/25  
रजिस्टर क्रमांक 7958  
फाईल सं०  
दिनांक 24-6-25

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर**

पत्रांक- 45 / मीरजापुर / 37राजस्व / मीरजापुर, दिनांक, जुलाई 04, 2025

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की अनुसूची दर संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व मीरजापुर।
2. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

(राकेश कुमार)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

वृक्ष प्रजाति का नाम	डायामीटर से0मी0/इंच/डी0बी0एच0(1.37 मी0)								
	से0मी0	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से उपर
	इंच	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28	28 से उपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
शीशम		360	903	4241	10609	21224	45989	64321	91979
सागौन		360	903	4241	14150	42448	63572	83617	91979
महुआ, सिरस, इमली, नीम, आम, जामुन		119	404	1643	3962	9906	19810	25960	30083
यूकेलिप्टस		103	404	1982	3550	5283	7910	12007	18489
विभिन्न प्रजाति		54	267	1318	2641	4138	6603	9605	14575

नोट:- 1. उपरोक्त दरें हरे या उखड़े प्रत्येक प्रकार के वृक्षों के लिए होंगी।

2. सूखे वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत होंगी।

3. उपरोक्त दर डी0बी0एच0(1.37 मी0) के आधार पर हैं।

सड़क के किनारे वृक्षों का छोड़कर अन्य स्थानों पर

वृक्ष प्रजाति का नाम	डायामीटर से0मी0/इंच/डी0बी0एच0(1.37 मी0)								
	से0मी0	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से उपर
	इंच	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28	28 से उपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सागौन		170	838	1485	9906	33017	46224	64274	83189
साल एवं साखू		91	625	1382	7660	21455	30522	46224	59284
शीशम, विजयसाल		85	404	989	6603	19810	26414	39621	55469
आसन, सेन, तेन्दू, महुआ, हल्दू, सादन, जामुन, आम, सिरस		62	309	1226	3697	9671	18387	24506	31873
धौ, करघई, चिरींजी, अमलतास, गुरही, कहु, सिद्ध, प्रसिद्ध		48	235	639	1835	3669	9186	12254	15937
खैर		91	625	3669	10729	24506	36686	49013	63760
सेमल		62	309	910	2935	6017	8511	11034	14337
चिलदिल, कन्जु		62	377	910	2935	4161	8511	11034	14337
सलई		62	250	910	2451	4900	7337	9186	11961
बैरंग, मरकुल		62	250	610	2451	4900	7337	9789	12752
यूकेलिप्टस		91	309	1835	2935	4900	8585	12254	15937
कुकाट		30	125	551	919	1835	2935	4900	6309

नोट:- 1. उपरोक्त दरें हरे या उखड़े प्रत्येक प्रकार के वृक्षों के लिए होंगी।

2. सूखे वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत होंगी।

3. उपरोक्त दर डी0बी0एच0(1.37 मी0) के आधार पर हैं।

4. बॉस 1717.00 रूपया प्रति सैकड़ा।

5. कोरैया 45 रूपया प्रति सैकड़ा।

6. 571.00 रूपया प्रति कुत्तल।

7. 714 रूपया प्रति साइकिल।

8. 2862 रूपया प्रति बैलगाड़ी।

9. 85 रूपया प्रति सरबोझ।

(मनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित ओ0ए0 नं0 112/2024 चौधरी यशवन्त सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2025 के बिन्दु संख्या-4 में निम्न आदेश दिया गया है-

".....4. Alongwith the report, annexure A-5 has been enclosed disclosing that the possession of 4 hectares of land has been taken by the forest department after removing the encroachment- In the map, Annexure A-6 (Page 1157), the location of 4 hectares of land from which the encroachment has been removed has been shown. The District Magistrate, Mirzapur has also enclosed the photographs from page 1158 onwards showing the nature of encroachment and its removal. The said photographs reveal that some damage has been caused to the trees. Hence, the Respondent No. 6, Chief Conservator of Forest, Mirzapur is directed to ascertain the extent of damage suffered by the forest on account of the unauthorized encroachment and to quantify the value of damage in monetary terms."

उक्त आदेश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर ने अपने पत्र संख्या-240/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 16.07.2025 द्वारा जांच समिति गठित की गयी। गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 12.09.2025 को चुनार रेंज के अर्न्तगत ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा 4.00 हे0 वन भूमि पर पूर्व में अतिक्रमित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया।



अ-पहुँच मार्ग के रूप में प्रयुक्त क्षेत्र



ब-वन क्षेत्र जिसे क्षति नहीं पहुँचाई गयी



स-अतिक्रमित 4.00 हे0

ए0सी0पी0 टोल प्लाजा व वन क्षेत्र का नजरी नक्शा


Q

Signature

T

1198  
1288

निरीक्षण के उपरान्त कमेटी द्वारा अतिक्रमण के अर्न्तगत यह पाया गया कि अधिकांश भाग में वन क्षेत्र को हॉनि नहीं पहुचाई गयी थी परन्तु उक्त भूमि में पहुच मार्ग व अस्थायी भवनों का निर्माण की गयी थी जिसके कारण वहाँ पर किसी प्रकार का वृक्ष नहीं पाया गया। उक्त पहुँच मार्ग व भवन के अर्न्तगत कुल क्षेत्रफल 0.41 हे० पाया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी व क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस पर विभागीय कार्यवाही करते हुए रेंज केस संख्या 01/2024-25/चुनार, ए.सी.पी. टोलवेज के विरुद्ध अवैध अतिक्रमण के संबंध में इजरा किया गया है।



द०-वन विभाग द्वारा अतिक्रमण से अवमुक्त कराये गये क्षेत्र व इससे लगे हुए क्षेत्र की स्थिति जो वर्तमान में ए०सी०पी० टोल प्लाजा के स्वामित्व में है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि पहुँच मार्ग व भवन व अन्य संरचनाओं के निर्माण के कारण वहाँ पर स्वभाविक रूप से वृक्षों को विद्यमान होना था परन्तु अतिक्रमण/निर्माण के कारण उक्त 0.41 हे० क्षेत्र पर वनावरण नहीं पाया गया।

(A) वन क्षेत्रों में वनावरण/वृक्षों को हुई क्षति की गणना निम्न प्रकार की गयी।

अतिक्रमित 4.00 हे० भूमि पर चार विभिन्न स्थानों पर 0.10 हे० के नमूना प्लॉट (sample plot) चयनित किए गए। इन प्लॉटों में पाई गई प्लाटवार प्रजातियों का विवरण निम्न प्रकार है। चार प्रमुख प्रजातियों की प्रचुरता एवं उनके व्यास वर्ग (Diameter Class) का अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किया गया।

क्र०सं०	प्लाट संख्या	नमूना प्लॉट (sample plot) में पायी गयी प्रजातियों की संख्या							योग
		सागौन	शीशम	नीम	सिरस	अमरूद	देसीबबूल	आँवला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	101	19	11	9	8	7	7	162
2	02	79	21	13	11	9	9	8	150
3	03	87	23	17	12	13	11	9	172
4	04	66	18	20	20	17	16	15	172
योग-		333	81	61	52	47	43	39	656

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

1199  
1289

प्रतिनमूना प्लॉट (sample plot) औसतन पायी गयी प्रजातियों का विवरण :-

- सागौन-333 पौध प्रति नमूना प्लाट
- शीशम-81 पौध प्रति नमूना प्लाट
- नीम-61 पौध प्रति नमूना प्लाट
- सिरस-52 पौध प्रति नमूना प्लाट
- अमरूद-47 पौध प्रति नमूना प्लाट
- देसीबबूल-43 पौध प्रति नमूना प्लाट
- आँवला-39 पौध प्रति नमूना प्लाट

इसप्रकार 0.41 हे०  
में औसतन 656 वृक्ष  
पाये गये।

उपरोक्त नमूना प्लॉट (sample plot) में पाये गये सागौन, शीशम, अमरूद, देसी बबूल, नीम, सिरस व आँवला प्रजातियों का औसतन गर्त लगभग क्रमशः 10-20, 10-20, 20-30 व 10-20 व्यास श्रेणी के पाये गये।

(B) उक्त अतिक्रमित क्षेत्रफल में हुई हानि का आगणन निम्न प्रकार किया गया है -

क्रम संख्या	वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी	अनुसूचितदर (रु०) प्रति पौध	औसतन वृक्षों की संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सागौन	10-20	903	333	300699
2	शीशम	10-20	903	81	73143
3	नीम	20-30	404	61	24644
4	सिरस	10-20	309	52	16068
5	अमरूद	10-20	267	47	12549
6	देसी बबूल	10-20	267	43	11481
7	आँवला	10-20	267	39	10413
योग-					449997

तदनुसार कुल आर्थिक हानी हुई समस्त प्रजाति का दर = 449997 रुपये।


उपरोक्त समस्त दरें मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, मीरजापुर द्वारा पत्र संख्या 5078/मीरजापुर/37(अनुदर) दिनांक 18 जून 2025 के माध्यम से निर्गत दरों के अनुसार विभिन्न वृक्ष प्रजातियों की अनुसूचित दरें अधिसूचित की गई हैं।

तदनुसार संबंधित वृक्ष प्रजाति की अनुसूचित दर का निर्धारण किया गया। उक्त वृक्ष प्रजातियों का आर्थिक मूल्यांकन वृक्षों की व्यास श्रेणी के आधार पर किया गया है।

आरक्षित वन क्षेत्र में वन अपराध कारित करते हुये वृक्षों को हुई क्षति के दृष्टिगत उक्त हानि का दस गुना अर्थ दण्ड अर्थात् रु० 4499970.00 अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त निरीक्षण रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(हिमांशु श्रीवास्तव)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग

  
(श्री. मुज्जम)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

  
(विवेक यादव)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
भदोही वन प्रभाग, भदोही

**Guidelines for Assessment**  
**of**  
**Environmental Compensation**  
**for**  
**Illegal Cutting of Trees**



**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

T.C-12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow

**Background :**

That Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter "Hon'ble Tribunal") in O.A. No. 272/2024 Deepank Kumar Sharma vs. MoEF & CC and Ors.. has passed following directions vide order dated 08-11-2024. The relevant portion of the order dated 08.11.2024 is reproduced as under:

*".....4. With regard to damage to environment due to illegal cutting of trees, i.e. air pollution, what appropriate action has been taken by UPPCB shall be placed on record by Member Secretary, UPPCB by filing an affidavit within two weeks ...."*

That in compliance to the above direction, UPPCB vide its letter dated 27-11-2024 has requested CPCB, New Delhi, PCCF, Lucknow, ICFRE, Dehradun, Uttarakhand, FRI, Dehradun, Uttarakhand to nominate concerning officials for preparation of guideline for assessment of Environmental Compensation for Illegal cutting of trees. UPPCB has conducted a meeting through Video Conferencing on 10-01-2025 with members of CPCB, New Delhi, PCCF, Lucknow, ICFRE, Dehradun, Uttarakhand and FRI, Dehradun, Uttarakhand for preparation of guidelines for assessment of Environmental Compensation for illegal tree cuttings. That during the meeting it was submitted before the Committee that in similar matter Uttarakhand Pollution Control Board has submitted status report in Hon'ble Tribunal in compliance of orders passed in O.A. No. 147/2024 Hardeep Sharma Vs. Ramesh Chand Arya & Ors. With O.A. No. 614/2022 Rasesh B Vissanji & Ors. State of Uttarakhand & Ors.. Hon'ble Tribunal in O.A. No. 147/2024 has considered the above status report of Uttarakhand Pollution Control Board in order dated 04-12-2024 and passed following directions to Uttarakhand Pollution Control Board to initiate action as per law.

*".....87. Since the issue now has crystallized in this matter with regard to Environmental Compensation leviable from persons responsible for illegal felling of trees of land in question and in exercise of powers to issue directions, UKPCB is empowered to implement 'Polluter Pays' principle by issuing directions for payment of Environmental Compensation, we find it appropriate to permit UKPCB to proceed in the matter for computation and assessment of environmental compensation for illegal felling of trees and recover same from violators but before passing any final order in this regard, adequate opportunity of hearing to all stakeholders shall be provided by UKPCB in accordance with law. This exercise shall be completed within two months and a compliance report shall be filed by 15.02.2025 with Registrar General of this Tribunal. If any further order is required, Registrar General shall place the matter before appropriate Bench.*

*88. We also direct that amount of environmental compensation realized/recovered by UKPCB shall be utilized for remediation/rejuvenation/restoration of damaged environment in the area in question in the light of a*

*Restoration Plan which shall be prepared by a Joint Committee comprising Divisional Forest Officer, Udham Singh Nagar; UKPCB; Central Pollution Control Board; and District Magistrate, Udham Singh Nagar. District Magistrate, Udham Singh Nagar shall be Nodal Authority for this purpose....."*

**Guidelines for assessment of Environmental Compensation for illegal cutting of trees :**

That 112<sup>th</sup> Board Members meeting of UPPCB was conducted on 17-01-2025 in which the proposal of adopting the calculations submitted by Uttarakhand Pollution Control Board in its report mentioned above as guidelines for assessment of Environmental Compensation for illegal cutting of trees is placed before the committee and the above proposal has been approved by committee.

That based on above facts the guidelines for assessment of Environmental Compensation for illegal cutting of trees is given below:

**Environment Compansation = [ Cost Factor x Trunk area of Tree x Species Factor x Condition Factor x Location Factor]- Royalty Value**

The Species, Condition, and Location rating are considered to range from 0.5 to 1.0.

**A. Description of Various Factors in the Environment Compensation Formula:-**

Factors	Description
Trunk area	The cross- section area of the tree trunk measured at breast height. Girth at Breast Height (GBH) (in cm) = $2\pi r$ Diameter (D)= $2r = \text{GBH}/\text{Pie}$ Trunk Area (in $\text{cm}^2$ ) = $\pi (D/2)^2 = \pi D^2/4$ Where, r is the radius of the tree at GBH in cm.
Cost Factor (Sapling Cost + Maintenance cost)	<i>Note : If the GBH of the tree is not reported, then the average GBH of a mature tree of the respective species shall be taken in to consideration for calculation of Trunk Area of the tree. In case the GHB/ diameter is not available then the average GBH/ diameter of the respective species shall be taken in to account.</i> The full cost (estimated per unit of the cross- sectional area of the trunk, i.e., per square centimeter) of a newly planted sapling that is at least 1.80 meters tall. Its derivation has two components: the nursery gate price and the planting cost ( transportation, planting , materials, manure, fertilizers, immediate care and management costs, but not aftercare).

	<p>Thus, Cost factor is sum of sapling cost and Cost of Transportation/ planting etc.</p> <p><i>Note: Department of Forest as well as Department of Horticulture is used to notify the sapling price from time to time. Such value of a sapling shall be taken in to consideration. if in any case, there is no notified price, then the market price of such sapling in that area where the is felt shall be taken in to consideration. In General cost of transportation/ planting the sapling shall be taken as Rs 100/-</i></p> <p>For example, a sapling of mango tree costs Rs 80/- so Cost Factor shall be sum of Cost of sapling Rs 80/- and planting cost Rs 100/- i.e.Rs 180/-</p>
Species Factor	<p>The details of priority of species are provided as <b>Annexure-1</b>. Score card for the factor is reported between 0.5 to 1.0 and detail is provided in next section of the report.</p>
Condition Factor	<p>It is an assigned value between 0.5 to 1.0 based on the condition of the tree which considers factors such as wounds, decay, storm damage, insect or disease damage, and form. It is based on the observation. In case, the felt tree is not available, an average of 0.75 would be considered. Score card for the factor is reported in detail in next section of the report.</p>
Location Factor	<p>It is based on the functional and aesthetic contribution that a tree makes to a site and the importance of the location in the context of the broader community. The location value lies between 0.5 and 1.0. Score card for the factor is reported in detail in next section of the report.</p>
Royalty Value	<p>For every tree which is felt, the Government has levied an amount as a royalty. The amount of such Royalty is proposed to be deducted and the final value so obtained will be termed as Environment Compensation.</p> <p><b>This is to clarify that the respective departments also obtained penalty for illegal felling of trees, which is higher than the Royalty value, but in the environment compensation regime, only the Royalty value will be considered.</b></p>

**B. Indexing of Various Factors****B.1 Score Chart for Species Factor**

Considering the higher ecological importance of trees located in Uttar Pradesh, the species factor is clubbed with the ecological importance/priorities the species in Low, Moderate and High.

**Annexure-1.** Score chart for species factor is as under:-

Area/Weightage	High Priority	Moderate Priority	Low Priority
Tropical (400-1500m asl)	0.75	0.60	0.50

**B.2 Score Chart for Condition Factor**

It is an assigned value between 0.5 and 1 based on the condition of the tree which considers such as wounds, factors such as wounds, decay, storm damage, insect or disease damage, and form. For simplicity's sake, a tree is usually placed in one of five classes whose value is expressed as a decimal in the formula. Following values are based on condition of tree:-

Class	Tree Health Characteristics	Score
Excellent	Root plate is undisturbed, trunk is sound and solid Excellent vigor with- formed canopy	1.0
Good	Moderate damage and defects in root plate, trunk and canopy	0.75
Poor	Major (more than 50%) damage and defects in root plate, trunk and canopy which would be very difficult to restore	0.5

*Note : If a tree is not found at site, than the condition factor shall be taken as Good. If tree is found and it is difficult to find the condition, the decision will be taken based on surrounding habitat and the time series of satellite image like Google images etc.*

**B.3 Score Chart for Location Factor**

It is based on the functional and aesthetic contribution that a tree makes to a site and the importance of the location in the context of the broader community.

Site location	Score
Tree located in wild life sanctuaries, national parks, Conservation Reserve, RF/PF, Eco sensitive Zone, Van panchayat	1.0
Tree located in Nagar Nigam Area	0.85
Tree located in Nagar palika Area	0.75

Tree Located in Nagar panchayat Area	0.65
Location in rural landscapes. Higher score to be given to trees based on their proximity to commercial areas.	0.50

*If the tree is having medical importance and religious importance etc. then the score of one scale up category for calculation of Environment compensation. For example an banyan tree is in good class (In Nagar panchayat area) and designated as religious importance of local community then the location factor shall be considered as assigned for Nagar Palika Area i.e. 0.75 instead of 0.65.*

#### **B.4 Royalty Value**

For every tree which is felled, the Government has levied an amount as a royalty. The amount of such Royalty is proposed to be deducted and the final value so obtained will be termed as Environment Compensation. Royalty value is notified per unit volume of the tree and the volume of the tree shall be calculated from the Dia class table. This is to clarify that the respective departments also obtained penalty for illegal felling of trees, which is higher than the Royalty value, but in the environment compensation regime only the Royalty value will be considered.

**Illustrative example for calculation of Environment Compensation of different type of trees in different condition is placed at Annexure- II.**

#### **C. Disclaimer**

1. This formula is not applicable on felling of such trees which are felled by obtaining requisite permission from the competent authorities, due to wind-storm etc.
2. This formula is also not applicable to the species which are under exemption category as notified by Government from time to time

**Annexure -1 Indicative table containing weightage of various tree species found in Uttar Pradesh**

S.No.	Name	E/SE/C/D	CF/UC	MAP	Timber	Fodder	Fuel wood	Commercial	Ecological importance/priority	
										Tropical (400-1500m asl)
1	Acacia catechu (L.F.) Willd.	D	UC	+						
2	Acacia farnesiana(L.) Willd.	D	UC	+				+	Moderate	
3	Acacia nilotica (L.) Del.ssp.indica (Benth.) Bren.	D	UC	+				+	Low	
4	Artocarpus lacucha Buch-Ham.	D	UC	+				+	Low	
5	Artocarpus indica juss	D	UC	+	Gd 2			+	Moderate	
6	Banhania purpurea L.	D	UC	+					Low	
7	Banhania racemosa Lamk.	D	UC	+					Low	
8	Banhania renisa Ham	D	UC	+					Low	
9	Bischufia jayanica Bl	D	UC	+	Gd 2			+	Low	
10	Boehmeria rugulosa wedd.	D	UC	+					Low	
11	Boswellia serrata Colebr.	D	UC	+	Gd 2				Low	
12	Butea monosperma (Lamk.) Taub.	D	UC	+					High	
13	Careya arborea Roxb.	D	UC	+				+	Moderate	
14	Casaria tomentosa Willd	D	UC	+				+	Low	
15	Cassia fistula L.	D	UC	+				+	Low	
16	Crataeva religiosa Frost.f.	D	UC	+				+	Low	
17	Dalbergia latifolia Roxb.	D	UC	+	Gd 1			+	Low	
18	Dalbergia sissoo Roxb.	D	UC	+	Gd 1			+	Moderate	
19	Erythrina suberosa Roxb.	D	UC	+				+	High	
20	Gmelina arborea Roxb.	D	UC	+	Gd 2			+	Low	
21	Grewia opliva Drum. ex Burret	D	UC	+				+	Low	
22	Haldinia cardifolia (Roxb) Rids.		UC	+	Gd 1			+	Moderate	
23	Kydia calycina Roxb.	D	UC	+	Gd 2			+	Low	
24	Cannea coromandelica (Hautt.) Merr.	D	UC	+				+	Low	

S.No.	Name	E/S/E/C/D	CF/UC	MAP	Timber	Fodder	Fuel wood	Commercial	Ecological importance/priority
25	Macaranga indica Wt.	D	UC	+			+		High
26	Melia azedarach L.	D	UC	+	Gd 2		+		Low
27	Moringa oleifera Lam						+		Low
28	Morus alba L.	D	UC	+					Low
29	Oroxylum indicum (L.) Vent.	D	UC	+			+		Low
30	Pongamia pinnata pierre	D	UC	+			+		Low
31	prema barbata Wall. Ex Schau.	D	UC	+			+		Low
32	Premna mucronata CL,	D	UC	+			+		Low
33	Sapium sebiferum Roxb.	D	UC	+					Low
34	Spondias pinnata (L.f.) Kurz	D	UC	+					Moderate
35	Sterculia urens Roxb.						+		Moderate
36	Sterculia villosa Roxb.	D	UC	+			+		Moderate
37	Syzygium cumini (L.) Skeels	D	UC	+	Gd 2		+		Moderate
38	Terminalia arjuna (Roxb.Ex DC.) Wt. & Arn.	D	UC	+	Gd 2		+		Moderate
39	Terminalia heliirica (Gaertn.) Roxb.	D	UC	+	Gd 2		+		Moderate
40	Terminalia chebula Retz.	D	UC	+	Gd 2		+		Low
41	Trewia nudifloura L.	D	UC	+			+		Low
42	Wrightia arbored (Dennst.) Mabb.								Low
43	Zizyphus mauritiana Lamk.			+			+		Low
44	Cinnamomum camphora Nees	D	UC	+				+	Low
45	Coehiospermum religiosum (L.) Alston	D	UC	+					Low
46	Cardia dichotoma Forst.f.	D	UC	+			+		Low
47	Cardia vesuta H.k.f. & Th.	D	UC	+					Low
48	diospyras montana Roxb.	D	UC	+	Gd 2				Low
49	Bicus hispida L.f.	D	UC	+			+		Low
50	Ficus Palmala Forsk.	D	UC	+			+		Low
51	Ficus racemosa L.	D	UC	+			+		Low
52	Hymenodictyon arixense Mabb.	D	UC	+					Low

S.No.	Name	E/SE/C/D	CF/UC	MAP	Timber	Fodder	Fuel wood	Commercial	Ecological importance/priority
53	Lagerstroemia parviflora Roxb.	D	UC	+	Gd 2				Moderate
54	Madhuea Longifolia (Koen.) Mac.	D	UC	+		+			Moderate
55	Dugeinia ajojeinensis (Roxb.) Hochi.	D	UC	+	Gd 2				Moderate
56	Bernecarpus anacardium L.f.	D	UC	+	Gd 2				Moderate
57	Diospyras excuspia Buch.-Ham.	D	UC	+	Gd 2				Moderate
58	Legla marmelos (L.) Corr.	D	UC	+	Gd 2				Moderate
59	Aistania scholaris (L.) Gaertn.	D	UC	+	Gd 2				High
60	Bachanania lanzan Spr.	D	UC	+	Gd 2			+	
61	Diospyras malabarica (Deser.) Kost.	D	UC	+	Gd 2				Moderate
62	Michelia champaca L.	D	UC	+					
63	Mimmsops elengi L.	D	UC	+					
64	Phoenix humilis Royle	D	UC	+					
65	Saraca asoca (Roxb.) De Wilde	D	UC	+			+		Moderate
66	Ailanthus excelsa Roxb.	D	UC	+	Gd 2			+	Low
67	Albizia lebbeck (L.) Willd.	D	UC	+	Gd 2				Moderate
68	Alhizia procera (Roxb.) Benth.	D	UC	+	Gd 2				Moderate
69	Anogeissus latifolia Bedd.	D	UC	+	Gd 2	+			High
70	Garuga Pinnata roxb.	D	UC	+	Gd 2	+			Moderate
71	Muragyna parvifolia (Roxb.) Korth.					+			Moderate
72	Behleicheria oleasa (Lour.)Oken.	D	UC	+	Gd 2		+		Moderate
73	Tamarindus indica L.	D	UC	+	Gd 2		+		Moderate
74	Vectona grandis L.f.	D	UC	+	Gd 1		+		High
75	Terminalia alata Roxb.	D	UC	+	Gd 2	+			High
76	Toona ciliata Roem.	D	UC	+	Gd 1	+	+		High
77	Eucalyptus globulus Labil.	D	UC	+	Gd 2			+	Low
78	Vicus glomerata Roxb.	D	UC	+		+			High
79	Holopteleia integrifolia (Roxb.) Planch.	D	UC	+	Gd 2				Low
80	Kingelia africana (Lamk.) Benth.	D	UC	+					
81	Pterocarpus marsupium Roxb.	D	UC	+	Gd 2				

S.No.	Name	E/SE/C/D	CF/UC	MAP	Timber	Fodder	Fuel wood	Commercial	Ecological importance/priority
82	<i>Pterospermum acerifolium</i> Willd.	D	UC	+					
83	<i>Gierospermum chelonoides</i> DC.	D	UC	+					
84	<i>Vicus benghalensis</i> L.	D	UC	+		+			High
85	<i>Phoenix sylvestris</i> Roxb.	D	UC	+					
86	<i>Chorea robusta</i> Gaertn.	D	UC	+	Gd 1	+	+		High
87	<i>Mangifera indica</i> L.	D	UC	+	Gd 2			+	Moderate

# 1300

## Annexure – II : Illustrative example for calculation of Environment Compensation of different type of trees

S.No.	Factors/Name of Species	Mango Tree usually grown in Tropical region (400-1500 m asl) species weightage moderate.	
		Tree is in Excellent Condition and is in Nagar Nigam Area	Tree is in Poor Condition and in Nagar Nigam Area
A	Tree Dia in cm (average for a health tree)	50	50
B	Tree area in square cm	1962.5	1962.5
C	Cost factor for sapling (assumed)	80	80
D	Cost factor for planting	100	100
E	Total Cost Factor (C+D)	180	108
F	Score for species factor	0.6	0.6
G	Score for Condition factor	1	0.5
H	Score for Location factor	0.85	0.85
I	Ecological Services Value (in INR)	180.158	90079
J	Less Royalty Factor (Assumed)	50000	50000
	<b>Total Environment Compensation (I-J)</b>	<b>1301.58</b>	<b>40079</b>